



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237174
CG-DL-E-07072022-237174

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2968]
No. 2968]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2022

का.आ. 3118(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के कि.मी 151.4 से 171.4 तक के एल सी नं 8 एल सी नं 114 और एल सी नं 104 के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 165) के 152/400 कि मी 162/200 और कि मी 170/400 के पास आर ओ बी के निर्माण हेतु पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH165 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रेवन्यू डिविजनल आफिसर भीमावरम, वेस्ट गोदावरी, डिस्ट्रिक्ट, भीमावरम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH165 के कि.मी. 151.4 से 171.4 तक	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	उंडी	1 कलिसिपुडी
						2 उंडी
						3 गोरिनथाडा
					पलाकोदेरू	1 श्रुंगाब्रूक्षम
						2 बंटूमिली
					वीरावासाराम	1 वीरावासाराम
						2 नंदमुरु गरुवु
					भीमावरम	1 नरसिंहपुरम
						2 कौव्वादा
						3 भीमावरम

[फा. सं. RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-I]

राजेश गुप्ता, निदेशक,

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2022

S.O. 3118(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 151.4 to km. 171.4 of Construction of 1 ROB at km 152/400 km162/200 and km 170/400 in lieu of LC NO 8 LC NO 114 and LC NO 104 respectively of NH 214 (New NH 165) in the State of Andhra Pradesh

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH165 in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Revenue Divisional Officer Bhimavaram, West Godavari, District, Bhimavaram	151.4KM To 171.4KM	ANDHRA PRADESH	WEST GODAVARI	Undi	1 Kalisipudi 2 Undi 3 Gorinthada
					Palakoderu	1 Srungavruksham 2 Bantumilli
					Veeravasaram	1 Veeravasaram 2 Nandamuru Garuvu
					Bhimavaram	1 Narasimhapuram 2 Kovvada 3 Bhimavaram

[F. No. RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-I]

RAJESH GUPTA, Director